

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फ़ैक्स : 07752-260154

ई-मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 224 / बै.प्र. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 19.09.2024

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
विद्यापरिषद की स्थायी समिति,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

---0---

महोदय / महोदया,

विषयान्तर्गत, दिनांक 19.09.2024 को आयोजित विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 188वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 225 / बै.प्र. / 2024

बिलासपुर, दिनांक : 19.09.2024

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव-अकादमिक/प्रशासन/विकास/प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 188वीं बैठक दिनांक 19.09.2024 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वज्रलवार	सदस्य
8.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
12.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
13.	डॉ० बबिता माझी	सदस्य
14.	श्रीमती श्वेता सिंह	सदस्य
15.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो० अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर-आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० संतोष कुमार प्रजापति

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में अपने उद्बोधन में यह बताया कि सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 187वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. विश्वविद्यालय के फॉरेन्सिक विज्ञान विभाग के सीट संख्या में वृद्धि किये जाने की सूचना ग्रहण करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के फॉरेन्सिक विज्ञान विभाग के सीट संख्या में वृद्धि किये जाने की सूचना ग्रहण की जाय।

विषय क्र. 04. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा श्रवण बाधिता पाठ्यक्रम का अध्ययन केन्द्र शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थापित करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा श्रवण बाधिता पाठ्यक्रम का अध्ययन केन्द्र शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Centre For Narendra Modi Studies, Aligarh के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Centre For Narendra Modi Studies, Aligarh के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 06. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और The ICFAI University, Raipur, Chhattisgarh, India के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और The ICFAI University, Raipur, Chhattisgarh, India के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 07. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और (1) Embryogenesis- Infertility Diagnostic & Research, Mohali, (2) Institute of Translational Health Science, Mohali & (3) Institute of Nutrigenetics & Nutrigenomics Research (INNR), Mohali के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और (1) Embryogenesis- Infertility Diagnostic & Research, Mohali, (2) Institute of Translational Health Science, Mohali & (3) Institute of Nutrigenetics & Nutrigenomics Research (INNR), Mohali के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।



विषय क्र. 08. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) में अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामुदायिक प्रशिक्षण, सशक्तिकरण और सतत् विकास केंद्र की स्थापना के लिए 9,900/- लाख रुपये बजट की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) में अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामुदायिक प्रशिक्षण, सशक्तिकरण और सतत् विकास केंद्र की स्थापना के लिए 9,900/- लाख रुपये बजट की स्वीकृति/अनुमोदन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 09. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और University of Allahabad, Prayagraj के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और University of Allahabad, Prayagraj के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 10. पीएच.डी. उपाधि के अधिसूचना प्रारूप में संशोधन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पीएच.डी. उपाधि के अधिसूचना प्रारूप में प्रस्तावित संशोधन एवं प्रस्तुत प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11. ODL के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क संरचना एवं मानदेय पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि ODL के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना एवं मानदेय का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित मानदेय का भुगतान ODL के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय से निर्मित फंड से ही किया जाये।

विषय क्र. 12. तन्हार ट्रस्ट, 316-ए, साकेत, फेस-1, साकेत, हैदराबाद द्वारा पुस्तकें दान से प्राप्त करने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि तन्हार ट्रस्ट, 316-ए, साकेत, फेस-1, साकेत, हैदराबाद द्वारा पुस्तकें दान से प्राप्त करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दान से प्राप्त होने वाले उक्त पुस्तकों एवं फर्नीचरों को विश्वविद्यालय में लाने के लिए होने वाले व्यय का वहन किया जाय एवं इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय के ग्रंथपाल द्वारा आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

विषय क्र. 13. अध्ययन मण्डल CSIT विभाग की बैठक दिनांक 15.07.2024 द्वारा Nep based UG, PG Programme की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना तथा पूर्व में संचालित UG Programme की संशोधित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- अध्ययन मण्डल CSIT विभाग की बैठक दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्रस्तावित Nep based UG, PG Programme पाठ्यक्रम एवं अंक योजना तथा पूर्व में संचालित UG Programme के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन आवश्यक संशोधनों के साथ किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 14. अध्ययन मण्डल CSE विभाग की बैठक दिनांक 24.07.2024 द्वारा Nep based B.Tech Programme की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना एवं Pre Ph.D.- Coursework की संशोधित पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- अध्ययन मण्डल CSE विभाग की बैठक दिनांक 24.07.2024 द्वारा प्रस्तावित Nep based B.Tech का पाठ्यक्रम एवं अंक योजना एवं Pre Ph.D.- Coursework के संशोधित पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 15. Single Girl Child तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सुपरन्यूमेररी सीट सृजन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने Single Girl Child तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए एवं अन्य प्रस्तावित श्रेणियों के लिए सुपरन्यूमेररी सीट सृजन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आरक्षण का प्रतिशत या सीट संख्या निर्धारण एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश प्रारूपण हेतु समिति का गठन किया जाय। समिति के सदस्य नामित किया जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार सृजित सुपरन्यूमेररी सीटों पर प्रवेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदान किया जाय।

विषय क्र. 16. B.Tech. 1st, 2nd तथा M.Tech. 1st, 2nd सेमेस्टर्स के लिये प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2024-25 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि B.Tech. 1st, 2nd तथा M.Tech. 1st, 2nd सेमेस्टर्स के लिये प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2024-25 का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 बैठक के दौरान विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष कु0 मानसी तिग्गा छात्रा सीएसआईटी विभाग का प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किये जाने संबंधी विषय समाहित था। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विषय आगामी बैठक के लिए स्थगित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी, तथापि इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव नियामक आयोग एवं संबंधित मंत्रालयों को प्रेषित किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त के संबंध में यथोचित प्रस्ताव राज्य शासन छत्तीसगढ़ सरकार को भी प्रेषित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगितायें कराये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि आगामी तीन माह में विभाग एवं अध्ययनशाला स्तर पर नृत्य, संगीत, गायन एवं अभिनय के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय एवं निपुण विद्यार्थियों का चयन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही अधिष्ठाता कला अध्ययनशाला एवं डॉ० पायल बनर्जी द्वारा सम्पन्न की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


#Kulasekhar
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव 19-09-2024


19/09/2024
कुलपति / अध्यक्ष